सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2011-12/GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
Insurance Building Complex
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Grant DR to Jharkhand State Government pensioners from 01.01.2011

Ref:- 1.Accountant General, (A&E) Jharkhand No PenIII-Jharkhand/DR/SSA/ 2011-12/8621 dt 06.09.2011.
2. Jharkhand Government, Finance Department No6A/03/09-8/3/190 dt 25.4.2011.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E) , Jharkhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director, Pension Payment Office,
Jambagh, M J Road
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

DUPLICATE COPY BY SPEED POST

PM17755 प्रधान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No. Pen-III-Jharkhand/DR/SSA/2011-12/ 8621 Dated:-~~02/06/2011~~ 6.9.11.

12 SEP 2011

SPECIAL SEAL AUTHORITY - 279/11-12.

To,

The Accountant General (A&E), Andhra Pradesh,
Saifabad, Hyderabad-500463

वि० द्र०-आगे के पत्राचार में प्रेषक के डाकघर का नाम तथा पिन कोड का अवश्य उल्लेख करें

Sub:- 1. Grant of Dearness Relief to the Jharkhand Government Pensioners/Family Pensioners @ 51% on Pension/Family Pension with effect from-01-01-2011 (Enhanced from 45% to 51%)

2. Enhancement in rate of Dearness Relief with effect from-01-01-2011 to the Unrevised Pay Scale of the Jharkhand State Government Employee.
3. Rectification of rate of Dearness Allowances Payable to Jharkhand State Government Employee.
4. Rectification of rate of Dearness Allowances Payable to Jharkhand State Government Employee(Grant of Dearnes Relief to Jharkhand Govt Pensioners/Family Pensioners @ 54% w.e.f-01-07-2008, enhanced from-47% to 54%)

16077 16/9/11

Ref :- Dr.L.H.Rao Retd. Professor & Pensioners L.No.- Nil dated-04-08-2011 (Photo Copy enclosed)

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department Memo No.वि प्र 6 A (Dearness Relief)-03/09/812/813/814 Dated 25/04/2011 and Memo No.-3/M-8-01/2000-3049/B Dated -18/1008 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all Pension Disbursing Authorities under your jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours faithfully

Encl:-As Stated above

Sr. Accounts Officer/Pen-III

No. Pen-III-Jharkhand/DR/SSA/2011-12/ Dated:

Copy to ;-Dr. L.H.Rao, Res.-402, Keerthi Matrix, Street No.-1, Nagendra Nagar,Habsiguda, Hyderabad-7, Andhra Pradesh.

Assistant Account Officer/Pen-III

पो. डोरण्डा, राँची - 834 002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (JHARKHAND)

दूरभाष / Telephone : 2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स / Fax : 0651-2411745

E-mail : agaeJharkhand@cag.gov.in

DR/ No Pen 113 (11-12)/179 dt 10/5/11

Office ... Jharkhand
29 APR 2011
Ranchi - 834002

संख्या : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/09...813/वित्त

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक 25/4/11

संकल्प

विषय :- राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को 01 जनवरी, 2011 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17(ए॰)(बी॰) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाऐं सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या–42/15/2011 पी॰ एण्ड पी॰डब्लू॰(जी॰) दिनांक 29.03.2011 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से 45% (पैंतालीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 51% (एकावन प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से महँगाई राहत 45% (पैंतालीस प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 51% (एकावन प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

5. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना यथास्थिति पुनरीक्षित पेंशन अथवा सेवा निवृत्ति के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन पर किया जायेगा। एतदर्थ पेंशन की रूपांतरित राशि भी पुनरीक्षित/प्राधिकृत/समेकित पेंशन में शामिल रहेगी। विहित दर पर महँगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्व में स्वीकृत महँगाई राहत की पूरी राशि सामंजित कर लिया जायेगा।

6. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि॰, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोडकर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशन भोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त

156 26/4/11

Subhdev

है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

8. पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम–344 (I) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशन भोगियों, द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगें। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियां भेज दिये जाये।

9. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाय।

10. दिनांक 01 जनवरी, 2011 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

इस आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय की सहमति के पश्चात् झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/09 813/190 राँची, दिनांक 25/4/11

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची

संख्या : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/09....

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक....

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संकल्प की कंडिका–15(E) एवं तदोपरांत वित्त विभागीय संकल्प के द्वारा राज्य सेवीवर्ग को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कतिपय कर्मियों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में सम्मिलित नहीं होने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावे कतिपय पद/सेवा का वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। फलस्वरूप वे अपुनरीक्षित वेतनमान में ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

3. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रं संख्या 1(3)/2008–ई॰–II (ख), दिनांक 31.03.2011 के द्वारा केन्द्र सरकार के वैसे कर्मी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के लिए दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर 103% (एक सौ तीन प्रतिशत) से बढ़ाकर 115% (एक सौ पन्द्रह प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के अधीन अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों के महँगाई भत्ता के दर में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के वैसे संवर्ग/कर्मी जो अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं अथवा जिनके वेतनमानों का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01.01.2011 के प्रभाव से अपुनरीक्षित मूल वेतन (मूल वेतन+महँगाई वेतन) का 115% (एक सौ पन्द्रह प्रतिशत) महँगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

5. झारखंड सेवा संहिता के नियम 34 (ए) में यथा परिभाषित मूल वेतन (मूल वेतन + महँगाई वेतन) पर महँगाई भत्ता देय होगा। मूल वेतन के अतिरिक्त गत्यावरोध वेतन वृद्धि पर महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान औपबंधिक आधार पर तत्काल किया जायेगा।

7. महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चत्तर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/09 8/4/11 राँची, दिनांक 25/4/11

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/09 8/4/11 राँची, दिनांक 25/4/11

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/ उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि॰प्र॰ 6ए (म॰भ॰)–03/09 8/4/11 राँची, दिनांक 25/4/11

प्रतिलिपि : महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची, दिनांक...18/X/18

संकल्प

विषयः- राज्य सरकार के सेवकों का देय महँगाई भत्ते की दरों में संशोधन।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 666/वि0, दिनांक 08.02.1999 द्वारा राज्य के सेवीवर्ग को दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका 18 के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग के ज्ञापांक-1276/वि0 दिनांक 03.05.2008 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के अनुरुप राज्य कर्मियों को दिनांक 01.01.2008 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन का कुल **47 प्रतिशत** महँगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(व्यय) के ज्ञापांक-**एफ सं0-1(3)/2008-ई0-II(वी0)**, दिनांक 03.10.2008 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को (Pre Revised Scale) दिनांक 01.07.2008 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की मौजूदा दर को **47 प्रतिशत** से बढ़ाकर **54 प्रतिशत** के रुप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के निर्णय के अनुरुप राज्य सरकार ने भी अपने सेवीवर्ग को पुनरीक्षित वेतनमान(दिनांक 01.01.96) में दिनांक 01.07.2008 के प्रभाव से मूल वेतन(मूल वेतन + महँगाई वेतन) का **54 प्रतिशत** महँगाई भत्ता के रुप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. मंत्री एवं मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों द्वारा नियुक्त बाह्य व्यक्तियों को भी उपर्युक्त दर से महँगाई भत्ता देय होगा।

5. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 34(ए) में यथा परिभाषित मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय होगा। मूल वेतन के अतिरिक्त गत्यावरोध वेतन वृद्धि पर महँगाई भत्ता देया होगा; किन्तु विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार-पत्र के बिना प्रतीक्षा किये देय भुगतान औपबंधिक आधार पर तत्काल किया जायेगा।

7. महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो तो अलगे उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार एवं लेखा एवं हक(बिहार एवं झारखण्ड, पटना/राँची) को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

17.10.08

(शिव शंकर तिवारी)
सरकार के उप सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड राँची

ज्ञापांक 3/वे॰-8-01/2000- 3049/वि॰ दिनांक 18/10/08

प्रतिलिपि- महालेखाकार(लेखा एवं हक) बिहार एवं झारखण्ड, वीर चंद पटेल पथ, पटना/हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.10.08

(शिव शंकर तिवारी)
सरकार के उप सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड राँची।

ज्ञापांक 3/वे॰-8-01/2000- 3049/वि॰ दिनांक 18/10/08

प्रतिलिपि- राज्यपाल के सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सभी मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.10.08

(शिव शंकर तिवारी)
सरकार के उप सचिव
[illegible] राँची।

FROM : FAX NO. :0 Aug. 04 2011 11:57AM P1

fax: 0651-2412517

To
Accountant General (A&E)
Govt. of Jharkhand
RANCHI.

From
Dr.L.H.RAO
(Retd) Proof of Civil Engg.
(BIT) Sindri Govt. of Bihar
Res. 402,Keerthi Matrix,
Street No.1, Nagendra Nagar,
Habsiguda, Hyderabad-7 A.P.

Spl. Attn: D.A.G (Pension)

Sir,

Sub: Government Order : Pen III/Jhar/DR/SSA/(11-12) – 2295 dated 02.06.2011 for sanctioning 51% Dearness Relief to Pensioners – Reg.

Ref: 1. PPO 4830/OG/Bihar.
2. Government order as noted above.

This is for your kind information that Government order No.2295 dated 02.06.2011 sanctioning 51% (Dearness Relief) to Pensioners sent to AG Andhra Bank for circulation has been misplaced and could not be located and not transmitted to various Treasuries in Andhra Pradesh for necessary payment to the pensioners. In view of the above all the Jharkhand Pensioners drawing their pension through A.G, Andhra Pradesh has been denied their due dearness relief w.e.f. January 2011 for the last two months.

As such kindly send the above order to A.G. Andhra Pradesh (A &E) by fax for necessary action.

Thanking you,

Hyderabad

Date: 04.08.2011

(Dr.L.H.RAO) 04/08/11
Retd. Professor & Pensioner,
Govt. of Jharkhand